संख्या – 218 / XXVII(1) / 2005

प्रेषक,

के0 सी0 मिश्र
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत, (संलग्न सूची के अनुसार)
उत्तरांचल

वित्त अनुभाग – 1

देहरादून : दिनांक : 24 फरवरी, 2005

विषय : 11वें वित्त आयोग की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 में नगर पंचायतों को धनराशि का संकमण (अन्तिम किश्त)

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या– 1186 / वि0अनु0–1 / 2004, दिनांक 16.12.2004 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 11वें वित्त आयोग, भारत सरकार की संस्तुतियों तथा निर्देशानुसार राज्य सरकार द्वारा लिए गये निर्णय के अनुसार प्रदेश की 18 नगर पंचायतों को संलग्न विवरणानुसार वित्तीय वर्ष 2004–05 की किश्त की कुल धनराशि रू0 54,95,082 / – (रू0 चौवन लाख पंचानबे हजार बयासी मात्र) को संकमित किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। उपर्युक्त धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन संकमित की जा रही है :–

1. संकमित की जा रही धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत मैचिंग कन्ट्रीब्यूशन निकाय को अपनी स्वयं के स्त्रोत की आय से मिलाना होगा। इस धनराशि का उपयोग 31 मार्च, 2005 तक किया जाना आवश्यक है अन्यथा अवशेष धनराशि लैप्स हो जायेगी, जिसका उत्तरदायित्व सम्बन्धित नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी का होगा।
2. राज्य वित्त आयोग की संस्तुति पर संकमित की गई धनराशि को मैचिंग कन्ट्रीब्यूशन के रूप में नहीं लगाया जा सकेगा।
3. उक्त अनुदान नगरीय क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवायें, पेयजल, मार्ग प्रकाश व्यवस्था, सफाई, जिसमे नालियों एवं अन्य कार्य सम्मिलित हैं, शमशान घाट व कब्रिस्तान आदि का रख–रखाव, जल सुविधाओं तथा अन्य सामुदायिक सम्पत्तियों के सृजन के लिए दिया

गया है। सामान्यतः इन अनुदानों से वह योजनायें पूरी की जानी चाहिए, जो कि भारत सरकार तथा प्रदेश सरकार की अन्य सेवाओं से आच्छादित नहीं है।

4. संकमित की जा रही धनराशि को कोषागार से आहरित करने के लिए बिल सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा। संकमित की जा रही धनराशि का उपयोग केवल उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा, जिसके लिये संकमित की गई है। इस धनराशि से किसी प्रकार का व्यावर्तन/समायोजन अनुमन्य नहीं होगा।
5. नगर विकास विभाग संकमित धनराशि के नियमानुसार उपयोग की समीक्षा करेंगे तथा इसके समुचित उपयोग के लिये उत्तरदायी होंगे। कोषागार से आहरित धनराशि बाउचर संख्या तथा दिनांक की सूचना महालेखाकार एवं शासन के वित्त विभाग को भेजेंगे।
6. शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागीय अधिकारी/वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, का उत्तरदायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त वित्त विभाग को दी जायेगी।
7. इस धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र भारत सरकार को भेजा जाना है। अतः उपयोगिता प्रमाण–पत्र जिलाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कराकर तत्काल वित्त विभाग को किये गये कार्यों के विवरण के साथ उपलब्ध कराया जायेगा और तभी अगली किश्त अवमुक्त की जायेगी।
8. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–07 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–3604–स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज्य संस्थानों को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन–आयोजनेत्तर–01 नगरीय स्थानीय निकाय–193–नगर पंचायतें/नोटीफाइड एरिया/कमेटी आदि –01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–0101–11वें वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान–20 सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामें डाला जायेगा।

संलग्नक :– यथोक्त

भवदीय,

(के0सी0 मिश्र)
अपर सचिव, वित्त

संख्या 218/(1)/XXVII(1)/2005 तद्दिनांक :

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
2. सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तरांचल शासन।
3. निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय, निदेशालय, देहरादून।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
5. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
6. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तरांचल।
7. विभागीय अधिकारी/वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो।
8. निदेशक, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, वित्त आयोग प्रभाग, ब्लॉक 11, पंचम तल, सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, नई दिल्ली।
9. एन0आई0सी0, सचिवालय, उत्तरांचल, देहरादून।
10. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तरांचल।

आज्ञा से,

(के0सी0 मिश्र)
अपर सचिव, वित्त

संलग्नक – 1

शासनादेश संख्या 218 /XXVII(1)/2005/, दिनांक 24 फरवरी, 2005

11वें वित्त आयोग की संस्तुति के अन्तर्गत नगर पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2004–05 हेतु अन्तिम किश्त के अनुदान का आवंटन।

क0सं0	जनपद का नाम	निकाय का नाम	(धनराशि रू0 में)
1	2	3	4
1	उत्तरकाशी	बड़कोट	503554
2		गंगोत्री	50042
3	रूद्रप्रयाग	केदारनाथ	39554
4	टिहरी गढ़वाल	चम्बा	543273
5		कीर्तिनगर	85880
6		देवप्रयाग	177045
7		मुनिकीरेती	322782
8	पिथौरागढ़	डीडीहाट	396782
9	चम्पावत	लोहाघाट	481258
10		चम्पावत	326838
11	अल्मोड़ा	द्वाराहाट	209993
12	नैनीताल	भीमताल	240683
13		कालाढूंगी	250966
14		लालकुआं	267271
15	ऊधमसिंहनगर	महुआखेड़ागंज	362930
16	हरिद्वार	शक्तिगढ़	195660
17		झबरेड़ा	384192
18		लण्डौरा	656379
		योगः–	**5495082**

(रूपया– चौवन लाख पिचानवे हजार बयासी मात्र)

(के0 सी0 मिश्र)
अपर सचिव, वित्त